न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 94 / 2019 निर्णय दिनांकः 17/12/2021
ऑनलाईन नम्बर 2019 / 00220

कृष्णदेव सिंह पुत्र भरत सिंह जाति राजपूत निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
–प्रार्थी–

वनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र नानूराम जाति ब्राहम्मण निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–
1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री कैलाश सारस्वत अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01
3. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह प्रार्थना पत्र कृष्णदेव सिंह ने जरिये अधिवक्ता मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के भाई हर्षवर्धन एवं विक्रमसिंह पुत्र भीवसिह के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नंबर 811 तादादी 19.73 हैक्टेयर वाकेरोही शेरूणा मे स्थित है। प्रार्थी के खेत के पश्चिमी तरफ सीवां जोड खेत खसरा नम्बर 808 तादादी 8.70 हैक्टैयर स्थित है जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 जगदीश प्रसाद के नाम से है। यह है कि प्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नंबर 808 में से पूर्वी (तरफ उतर से दक्षिणी) एक कटाणी रास्ता ग्राम शेरूणा से राजेरा की ओर जाता है जो 0.14 हैक्टेयर भूमि गैरमुमकिन रास्ता के रूपम` दर्ज है। इस कटाणी रास्ते में से फटकर प्रार्थी के के इस खेत खसरा नंबर 811 में जाने रास्ता जाता सदामद से रहा है। अप्रार्थी सं. 1 के खेत में से जो कटाणी रास्ता जाता है वह रास्ता प्रार्थी के खेत से लगभग 52 मीटर दूर है तथा इस कटाणी रास्ता से फटकर प्रार्थी के खेत में जो रास्ता जाता है उसकी चौडाई 5 मीटर व लंबाई 52 मीटर है। यह रास्ता शुरू से ही चला आ रहा है। यही एकमात्र रास्ता है जिससे प्रार्थी अपने खेत में आवगमन करता है। इस रास्ते अलावा प्रार्थी के खेत आवागमन हेतु कोई सुगम व सुलभ रास्ता नही है। यह है कि प्रार्थी के खेत के वर्णित रास्ते को अप्रार्थी संख्या 1 बंद करता रहता है व आने जाने से रोकता है। अप्रार्थी सं. 1 ने वर्णित रास्ते को अवरूद्ध कर रखा जिसको खुलवाने के लिए प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 रास्ते को खोल नही रहा तथा बार बार रास्ते को अवरूद्ध करता रहता है। यह है कि प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 811 का विद्यमान रास्ता जिसकी चौडाई 5 मीटर है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 808 तादादी 8.70 हैक्टेयर में से ग्राम शेरूणा से राजेरा जाने वाले कटाणी रास्ते से फटकर प्रार्थी के खेत में प्रवेश करता है है जिसकी लम्बाई करीब 52 व चौडाई 5 मीटर है। प्रार्थी [illegible] रास्ते को दर्शाते हुए नजरी नक्शा संलग्न किया जा रहा है [illegible] हल्के ग्रीन रंग से मार्ग से अप्रार्थी संख्या 1 के खेत से गुजरता हुआ रास्ता दर्शाया गया है जो रास्ता प्रार्थी के खेत में जाता है जो अत्यन्त आवश्यक व प्रार्थी के खेत तक पहुचने का एकमात्र रास्ता वर्णित रास्ता सुविधा का न होकर आवश्यकता का है। उक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत तक पहुचने का अन्य रास्ता नहीं है। वर्णित रास्ते सेही प्रार्थी अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:16:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

खेत में आवगमन करते है। यह है कि प्रार्थी रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नंबर 808 तादादी 8.70 हैक्टेयर रोही शेरूणा में से जाने वाले कटाणी रास्ता से फंटकर प्रार्थी के खेत में प्रवेश करता हैजिसाकी लंबाई करीब 52 मीटर व चौडाई 5 मीटर है जिसका क्षेत्रफल 260 वर्गमीटर है जिसको प्रार्थी शुरू से ही उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 को रास्ते के क्षेत्रफल की सरकारी डी.एल.सी. रेट या एसे प्रतिकर के सदाय करने को तैयार है जो श्रीमानजी द्वारा अवधारित किया जाये। यह है कि वर्णित रास्ता अत्यधिक आवश्यकता का है यह प्रार्थी के खेत के लिए केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है। प्रार्थी खेत में पहुचने के लिए वर्णित रास्ते के वैकल्पिक रास्ते के अभाव मे है। यह है कि प्रार्थी के विवादित रास्ता की भूमि रोही शेरूणा में स्थित है। वर्णित रास्ता आवश्यकता का है इसलिए प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के श्रवणधिकार व क्षेत्राधिकार का है। यह है कि प्रार्थना पत्र अन्दर मियांद व पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर रास्ता बाबत् रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत की गई। बहस अन्तिम सुनी गई। प्रार्थी अधिवकता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी के खेत में आने–जाने का आवश्यक रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का अनुरोध किया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 811 में प्रवेश के लिये व अपने खेत खसरा नम्बर 808 की उतरी दिशा में रास्ता देने को तैयार है व रास्ता चालू है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा रास्ते बाबत विस्तृत मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश की गई है। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 808 के दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे कटाणी रास्ते के खसरा नम्बर 811 तक 5 मीटर चौडा 54 मीटर लम्बा रास्ता मौके पर है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 811 में जाने का एकमात्र रास्ता 808 में से होना प्रतीत है। इस रास्ते बाबत हल्का पटवारी, हल्का गिरदावर व तहसीलदार की रिपोर्ट पत्रावली में प्रस्तुत है। अप्रार्थी संख्या 1 भी यह स्वीकार करता है कि खसरा नम्बर 811 में जाने का रास्ता खेत खसरा नम्बर 808 में से है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी की सुविधा व आवश्यक रास्ते को नजरी नक्शा अनुसार न देकर अपने खेत खसरा नम्बर 808 की उतरी सींव के पास देना चाहता है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम शेरूणा से चलकर कटाणी मार्ग खसरा नम्बर 808 के दक्षिणी सींव में प्रवेश कर आगे जा रहा है। खसरा नम्बर 808 के पूर्व मे स्थित खसरा नम्बर 811 की भूमि स्थित है जिसकी दक्षिणी–पश्चिमी सींव खसरा नम्बर 808 से चिपते ही है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम शेरूणा के निवासी है जोकि शेरूणा से चलकर अपने खेतो की दक्षिणी सींव में प्रवेश करते है। इन तथ्यों से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:16:19 IST
Reason: SelfAttested

खेत खसरा नम्बर 808 रोही शेरूणा के राजस्व नक्शा में दक्षिण सींव के सहारे सहारे 54 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौडा कुल 270 वर्ग मीटर भूमि खेत खसरा नम्बर 811 की दक्षिणी–पश्चिमी सीमा तक गैर मुमकिन रास्ता के रूप में लाल स्याही अंकन किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 808 में से 270 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में ली जायगी जिसका डी.एल.सी रेट से प्रतिकर प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 01 को दिलाया जाना

न्यायोचित है। जिसकी कुल प्रतिकर राशि 23075/–रूपये प्रस्तुत तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार डीएलसी के आधार पर बनती है। उक्त प्रतिकर राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम निर्णय के 15 दिवस में अप्रार्थी संख्या 2 को प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 808 में से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का अंकन आदेशानुसार कर रिकार्ड में अमल दरामद करें।

आदेश आज दिनांक 17/12/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली वाद निर्णय दायरा रजिस्टर में कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:16:19 IST
Reason: SelfAttested